उपस्थित :–

1– प्रार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री नरपतसिंह देवडा

2– अप्रार्थी संख्या 1 से 7 व 9 से 11 की ओर से वकील सुरेशचंदजी सुराणा

2– अप्रार्थी 8 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार श्री शंकरलाल मीणा/ना.तह.सिरोही

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.अभिधृति अधि.
वास्ते खातेदारी कृषि मे जाने हेतु मे वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय दिनांक 9–3–2018

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधि. के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 व 9 से 11 तक व अप्रार्थी संख्या 8 स्टेट भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार) सिरोही का वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 13–8–2015 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्राथीा ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्राथी के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी राजस्व ग्राम कालन्द्री पटवार हल्का कालन्द्री ाा तहसील सिरोही जिला सिरोही मे खसरा नंबर 2460 रकबा 1.6500 हैक्टेयर आयी हुई है। वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थी का 1/2 खातेदारी हक हिस्सा है प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि कय करने के प्श्चात अपने हिस्से पर टयूबवेल खुदवा कर विधुत संबंध भी लिया है खसरा नंबर 2460 का प्रार्थी व सहखातेदार अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के मध्य विभाजन होने पर प्रार्थी के खातेदारी के नये खसरा नंबर 4594/2460 हुये है। प्रार्थी उक्त कृषि भूमि मय कुंआ खसरा नंबर 4594/2460 का खातेदारी कृषक है और उस पर काबिज काश्त है। प्रार्थी के खातेदारी की उपरोक्त कृषि भूमि के लगती पश्चिम दिशा मे अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 4593/2460 व 2454 आई हुई है तथा इनके पश्चिम दिशा मे अप्रार्थी संख्या 4 तता 7 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 2453 आई हुई है तथा इसके बाद रेकर्डेड आम रास्ता खसरा नंबर 2514 स्थित है।

प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 4594/2460 पर आने जाने के लिये तथा मवेशी/ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने`के लिये राजस्व रेकर्ड मे कोई रास्ता उपलब्ध व दर्ज नही है प्रार्थी अपनी आराजी पर आने जाने हेतु अस्थायी रास्ते का उपयोग अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की उपरोक्त वर्णित आराजी से करता आ रहा है उक्त अस्थायी रास्ता खेतो मे फसल बोने के बाद खातेदारों द्वारा बंद दिया जाता है प्रार्थी की आराजी तक आने जाने हेतु कोई रेकर्डेड रास्ता विधमान नही होने से प्रार्थी को वाहन लाने ले जाने मे भारी असुविधा होती है और वह अपने वैध खातेदारी की आराजी के उपयोग व उपभोग से वंचित हो रहा है। रेकर्डेड आम ———

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज॰)

निरन्तर पेज नं. 3

प्रस्तावित रास्ते की भूमि मौजा कालन्द्री पटवार हल्का कालन्द्री के जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता नंबर 254 के 2453 कुल रकबा 4.7400 हेक्टेयर मेसे 480 वर्ग मीटर या 0.480 हेक्टेयर अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार अप्रार्थीगण नैनमल हेमचंद सुरेशकुमार पि.शंकरलाल 3/4 खुशवंत पुत्र रतनचंद नयना भावना पुत्री रतनचंद हेमलता पत्नि रतनचंद जाति महाजन सा.देह खातेदार इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता नंबर 129 के 2454 कुल रकबा 2.3800 हेक्टेयर मेसे 400 वर्ग मीटर या 0.400 हेक्टेयर
अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार चुन्नीलाल पुत्र बाबा 2/5 ओटीबाई पत्नि स्व.बाबा 1/10 जीवा पुत्र गमना 1/2 घांची सा.देह खातेदार तथा जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता नंबर 130 के 4593/2460 रकबा 0.7700 हेक्टेयर मेसे 120 वर्ग मीटर या 0.120 हेक्टेयर अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार चुन्नीलाल पुत्र बाबाराम ,ओटीबाई पत्नि स्व. बाबाराम,जीवाराम पि.गमनाजी घांची सा.देह खातेद रास्ते खसरा नंबर 2514 से प्रार्थी की आराजीर के बीच अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 4593/2460,2454 व 2453 स्थित है अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के खातेदारी की उक्त आराजी मेसे दक्षिणी सीमा पर 12 फिट चौडा रास्ता प्रार्थी प्राप्त करना चाहता है जिसे संलग्न नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाया गया है संलग्न नक्शे को प्रार्थनापत्र का अंग समझा जावे । प्रार्थी इसी भाग को अस्थायी रास्ते के रू५ मे उपयोग मे लेता रहा है संलग्न नक्शे मे लाल स्याही से अअंकित भाग को रास्ता घोषित कर तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज कर नक्शे मे तरमीम किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है प्रार्थी द्वारा बावजूद निवेदन अप्रार्थी संख्या संख्या 1 ता 7 द्वारा रास्ता उपलब्ध नही करवाने व रिकार्ड मे रास्ता दर्ज नही करवाने से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। राजस्थान राज्य भूमि धारक होने से व राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करने हेतु प्राधिकृत होने से उन्हे अप्रार्थी संख्या 8 बननाया गया है उनके विरूद्व कोई प्रभावी अनुतोष नही चाहा गया है। खातेदार हंजाबाई फौत होने से उन्हे पक्षकार नही बनाया है उनके उत्तराधिकारी बतौर अप्रार्थी पक्षकार बने हुये है तथा रतनचंदजी फौत होने से उनके कानूनी उत्तराधिकारी पुत्र को अप्राथी संख्या 6 बनाया है। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर मौजा कालन्द्री मे आम रास्ते खसरा संख्या 2514 से प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर संख्या 4594/2460 (विभाजन के पूर्व का 2460) पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 2453,2454,व 4593/2460,के दक्षिणी किनारे पर संलग्न नक्शे मे लाल स्याही से कअंकित 12 फिट चौडा रास्ता को रास्ता (मार्ग) घोषित कर राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज कर नक्शे मे तरमीम करवाने के आदेश प्रदान कराना फरमावें ।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

निरन्तर पेज नं. 4

प्राथीा द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर मे वर्णित प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2066 से 2069 खाता नंबर नया 122 खसरा नंबर 2459 रकबा 1.0700 हेक्टेयर व खसरा नंबर 2460 रकबा 1.6500 हेक्टेयर नकल नक्शा किश्तवार जमाबंदी संवत 2066–2069 खाता नंबर 121 खसरा नंबर 2364 रकबा 2.1200 हेक्टेयर,खसरा नंबर 2454 रकबा 2.3800 हेक्टेयर व खसरा नंबर 2458 रकबा 1.0800 हेक्टेयर कुल 3 कुल रकबा 5.5800 हेक्टेयर अप्रार्थीगण चुन्नीलाल पुत्र बाबा 2/5 ओटीबाई पत्नी स्व.बाबा 1/10 जीवा पुत्र गमना 1/2 घांची सा.देह खातेदार तथाा जमाबबंदी संवत 2066 से 2069 खाता नंबर 238 खसरा नंबर 2395 रकबा 1.6500 हेक्टेयर व खसरा नंबर 2453 रकबा 4.7400 हेक्टेयर कुल 2 कुल रकबा 6.3900 हेक्टेयर अप्रार्थीगण नैनमल,हेमचद,रतनचंद सुरेशकुमार पि. शकरलाल हंजाबाई बेवा शंकरलाल जाति महाजन सा.देह खातेदार का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो न्यायालय उक्त प्रार्थनापत्र व वर्णित दस्तावेजात प्रतियों से प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से दिनांक 13–8–2015 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । जिस पर इस न्यायालय मे दिनांक 18–9–2015 को अप्रार्थी संख्या 1,2,3 व 8 के नोटिस तामिलशुदा व अप्रार्थी संख्या 4,5,6,7 को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी.नोटिस भेजने पर प्राप्ति रसीद प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तथा अप्रार्थी संख्या 4 से 7 तक की ओर से वकील सुरेशचन्द्र सुराणा ने वकालतनामा पेश करने से शामिल मिसल किया गया ।

विचारण प्रकरण मे सुनवाई पेशी दिनांक 27–10–2015 को न्यायालय मे अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने अपने उक्त जवाब के माध्यम से संक्षेप मे यह कथन किया कि प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 2460 रकबा 1.6500 हेक्टेयर मौजा कालन्द्री पटवार हल्का कालन्द्री द्वितीय मे होना एवं पप्रार्थी की अब आधे हिस्से की खातेदारी होना स्वीकार है। प्रार्थी ने आधा खातेदारी हिस्सा भूमि का बिना विभाजन कराये क्रय की है जिससे वह खसरा संख्या 2460 के आधे खातेदारी हिस्से की भूमि पर अजनबी है एवं आधे हिस्से की भूमि पर प्रवेश करने,खेती करने व बोर खुदवाने का कानूनन कोई अधिकार नही है। प्रार्थी की भूमि का नया खसरा नंबर 4594/2460 होना अस्वीकार है। प्रार्थी ने अविभक्त आधा खातेदारी हिस्सा क्रय किया है जिससे उसे खसरा संख्या 2460 की अविभक्त भूमि पर प्रवेश करने व खेती करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी ने कुंआ खसरा नंबर 4594/2460 की भूमि मे नही खुदवाया है ओर न ही उसे बिना ईजाजत के बोर खुदवाने का कानून मे कोई अधिकार है। अप्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 4593/2460 होना अस्वीकार है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की खातेदारी की भूमि पश्चिम दिशा मे होना व उसके प्श्चात अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 की खातेदारी की भूमि होना स्वीकार है। खसरा नंबर 2514 मे होकर प्रार्थी अथवा उसके पूर्वरसाधिकारी कभी भी खसरा नंबर 2460 की

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

निरन्तर पेज नं. 5

भूमि पर कृषि कार्य हेतु नही आये । प्रार्थी व उसके पूर्व रसाधिकारी अपनी कषि भूमि पर आना जाना खसरा नंबर 2463,2465,2466 व 2468 की भूमि पर होकर करते रहे है। अब नया रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि मे होकर प्रार्थी मांग रहा है। जो विधि विरूद्व है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब मे अआगे यह कथन किया कि रेकार्ड मे खसरा नंबर 4593/2460 का उल्लेख होना अस्वीकार है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की पीवल भूमि मे होकर रास्ता प्राप्त करने का अधिकार होना अस्वीकार है अप्रार्थीगण की बहुमूल्य भूमि जिसे उन्होने मेहनत कर तैयार की है एवं करीब 2500 फीट की दुरी से कुऐं से अपने साधन से पीवल है मे होकर रास्ता दिया जाने से अप्रार्थीगण को गंभीर क्षति कारित होगी । अप्रार्थीगण ने जवाब के विशेष कथन के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपना आवेदन राजस्थान टेनेनसी गोरमेण्ट रूल्स के रूल 68 के अनुसार फार्म क्रमांक एक के अनुरूप प्रस्तुत नही किया । जिससे यह प्रार्थनापत्र परिपोषणीय नही है। तथा प्रार्थी ने श्रीमती हंजाबाई एवं श्री रतनचंद के स्वर्गवास का उल्लेख किया है परन्तु उनके सभी उत्तराधिकारियों को पक्षकार नही बनाया है जिससे प्रार्थी का यह आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही है।

इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 22–12–2015 को विवादित रास्ते की भूमि की वर्तमान स्थिति मौके की स्थिति को रेकर्ड पर लेने हेतु नायब तहसीलदार सिरोही से मौका निरीक्षण रिर्पोट चाही जाने पर उपतहसीलदार,कालन्द्री ने जरिये पत्रांक 56 दिनांक 23–2–2016 के संलग्न वांछित मौका निरीक्षण रिर्पोट पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया । प्रकरण वास्ते गत आदेशानुसार शेष अप्रार्थी संख्या 4 से 7 तक के जवाब हेतु दिनांक 25–4–17 को रखा गया। दिनांक 25–4–2017 को न्यायालय मे दौराने सुनवाई वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया । प्रार्थनापत्र मे अंकित नयना पुत्री रतनचंदजी जैन कालन्द्री,भावना पुत्री रतनचंदजी जैन कालन्द्री तथा हेमलता पत्नि रतनचंदजी जैन नि. कालन्द्री को उनके वर्तमान पते कर्नाटक के नोटिस रजिर्स्टड ए.डी. वकील प्रार्थी को जरिये रजिर्स्टड ए.डी. कर्नाटक क`पते पर भेजने हेतु दस्ती दिये गये । जिस पर मृतक प्रतिवादी रतनचंद के वारिसान हेमलता ,भावना तथा नयना पुत्रीयॉ को जारी रजिर्स्टड ए.डी.रसीद प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया । जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त हेमलता,भापा व नयना को पक्षकार बनाते हुये संशोधित अनवान व जवाब पेश करने का आदेश दिया गया । उक्त आदेश की पालना मे वकील प्रार्थी ने संशोधित शीर्षक पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया तथा पत्रावली अप्रार्थीगण संख्या 9,10,11 के जवाब हेतु दिनांक 18–12–2018 को न्यायालय मे रखी गई ।

दिनांक 18–12–2018 को न्यायालीय मे सुनवाई के दौरान वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 9,नयना,10–भावना व 11 पुत्रीयॉ रतनचंद व श्रीमती हेमलता पत्नि रतनचंद जैन की ओर से जवाब पेश करना नही चाहने से न्यायालय द्वारा जवाब बंद करने का आदेश दिया गया ।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

निरन्तर पेज नं. 6

दिनांक 26–2–2018 को विचारण प्रकरण की सुनवाई के दौरान पत्रावली देखने पर पाया कि अप्रार्थी संख्या 4 से 7 तक को जवाब पेश करने हेतु न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर देने व सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत 90 दिन की समयावधि मे जवाब पेश नही करने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 से 7 तक का जवाब बंद करने का आदेश दिया गया । तथा दौराने सुनवाई वकील प्रार्थी व वकील अप्रर्थीगण संख्या 1 से 3 तक द्वारा अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 4594/2460 पर आने जाने के लिये तथा मवेशी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिये राजस्व रेकर्ड मे कोई रास्ता उपलब्ध व दर्ज नही है प्रार्थी अपनी आराजी पर आने जाने हेतु अस्थायी रास्ते का उपयोग अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की उपरोक्त वर्णित आराजी से करता आ रहा है उक्त अस्थायी रास्ता खेतो मे फसल बोने के बाद खातेदारों द्वारा बंद दिया जाता है प्रार्थी की आराजी तक आने जाने हेतु कोई रेकर्डेड रास्ता विधमान नही होने से प्रार्थी को वाहन लाने ले जाने मे भारी असुविधा होती है और वह अपने वैध खातेदारी की आराजी के उपयोग व उपभोग से वंचित हो रहा है।राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज नही होने से रास्ते की मांग की है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(ए) आर.टी.एकट का स्वीकार करवाना फरमावें ।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने कुंआ खसरा नंबर 4594/2460 की भूमि मे नही खुदवाया है ओर न ही उसे बिना ईजाजत के बोर खुदवाने का कानून मे कोई अधिकार है। अप्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 4593/2460 होना अस्वीकार है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की खातेदारी की भूमि पश्चिम दिशा मे होना व उसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 की खातेदारी की भूमि होना स्वीकार है। खसरा नंबर 2514 मे होकर प्रार्थी अथवा उसके पूर्वरसाधिकारी कभी भी खसरा नंबर 2460 की भूमि पर कृषि कार्य हेतु नही आये । प्रार्थी व उसके पूर्व रसाधिकारी अपनी कृषि भूमि पर आना जाना खसरा नंबर 2463, 2465, 2466 व 2468 की भूमि पर होकर करते रहे है। अब नया रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि मे होकर प्रार्थी मांग रहा है। जो विधि विरूद्व है। मौके पर पूर्व से चालु रास्ता होना बताया है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट का खारिज करवाना फरमावें । बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण ने कानूनी नजीर आर.आर.टी. 2016(1) बाघसिंह वगैरहा बनाम दी बोर्ड आफ रेवेन्यु अजमेर पेज नंबर 649 से 651 तक पेश की है।

हमने विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तथा वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थीगण की अंतिम बहस पर गंभीरता से मनन किया । वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त कानूनी नजीर का भी गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर भी मनन किया । विचाराधीन प्रकरण का उपर्युक्त

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

निरन्तर पेज नं. 7

विवेचन के अनुसार निष्कर्ष है कि प्रकरण की पत्रावली के संलग्न नायब तहसीलदार कालन्द्री द्वारा प्रस्तुत रास्ते की वर्तमान स्थिति की मौका निरीक्षण रिर्पोट दिनांक 23—2—2016 व संलग्न नक्शे मे अंकित लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ता बताया है उक्त मौका निरीक्षण रिर्पोट अनुसार उक्त प्रकरण पटवार हल्का कालन्द्री II के खसरा नंबर 4594/2460 पर आने जाने का रास्ते हेतु मौका देखा गया । खसरा नंबर 4594/2460 प्रार्थी मोहनसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जाति राजपूत निवासी कालन्द्री की खातेदारी कृषि भूमि है। तथा खसरा नंबर 4593/2460 अप्रार्थी चुन्नीलाल पुत्र बाबाजी व अन्य की खातेदारी भूमि है। खसरा नंबर 2454 चुन्नीलाल पुत्र बाबाजी व अन्य की खातेदारी भूमि है तथा खसरा नंबर 2453 नैनमल पुत्र शंकरलाल जाति महाजन की संयुक्त खातेदारी भूमि है। खसरा नंबर 4594/2460 मे आने जाने हेतु खसरा नंबर 4593/2460,2454,2453 मेसे नजदीक पडता है जो आम रास्ते से कम दूरी पर है। प्रार्थी वर्तमान मे अस्थायी रास्ते का उपयोग खसरा नंबर 2475,2481 ,2480,2479,2478 मे कर रहा है जो खसरा नंबर 4594/2460 से ज्यादा दूरी पर स्थित होना बताया है। मौका निरीक्षण से यह पाया कि नजरी नक्शा मौका निरीक्षण रिर्पोट के संलग्न है जिसके अनुसार वर्तमान मे खसरा नंबर 2478,2479,2481,2480 व 2475 होते हहुये अस्थायी रास्ते के रूप मे उपयोग ले रहे है। प्रार्थी खसरा नंबर 2514 रेकार्ड हेतु रास्ते से खसरा नंबर 2453,2454 व 4593/2460 के दक्षिणी माट के किनारे किनारे चह रहा है। मौका निरीक्षण मे भी पाया कि उक्त स्थल प्रार्थी की खातेदारी से नजदीक स्थल आ रहा है। अतः 4 मीटर चौडा (रास्ता) से निम्न खसरा नंबर मे से क्षैत्र प्रभावित होगा :यानि प्रस्तावित रास्ते की भूमि :—

खसरा नंबर

2453 कुल रकबा 4.7400 हेक्टेयर	मेसे	480 वर्ग मीटर	या 0.480 हेक्टेयर
2454 कुल रकबा 2.3800 हेक्टेयर	मेसे	400 वर्ग मीटर	या 0.400 हेक्टेयर
4593/2460 रकबा 0.7700 हेक्टेयर	मेसे	120 वर्ग मीटर	या 0.120 हेक्टेयर
	कुल	1000 वर्गमीटर	या 0.10 है0

सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के आधार पर प्रार्थीया ने अपने खातेदारी की कृषि भूमि मेसे होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया है। इसकी पुष्टि मे इसकी नायब तहसीलदार कालन्द्री के उक्त मौका निरीक्षण रिर्पोट दि 23—2—2016 व संलग्न नजरी नक्शा मे लाल स्याही से दर्शित प्रस्तावित उक्त रास्ते से होती है। तथा पटवारी हल्का कालन्द्री II ने भी अपनी मौका फर्द दिनांक 9—12—2015 मे दौराने मौका निरीक्षण मे यह पाया कि खसरा नंबर 2453 ,2454 ,व 4593/2460 मेसे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरानंबर 4594/2460 तक रास्ते के कोई चिन्ह (निशान) मौजूद नही है प्रार्थी

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

निरन्तर पेज नं. 8

वर्तमान मे जिस रास्ते का उपयोग कर रहा है उसे संलग्न नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। पैरोकार सरकार ने भी अपनी बहस मे पटवारी हल्का कालन्द्री II की मौका निरीक्षण रिर्पोट दि 9–12–2015 के संलग्न नकल नक्शा किश्तवार मे अंकित लाल स्याही से दर्शित प्रस्तावित उक्तानुसार रास्ते दिया जाना उचित बताया है। तथा राजस्व रेकर्ड के अनुसार भी कोई रास्ता नही लगता होना बताया है। उक्त भूमि मेसे होकर रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिये आवश्यकता होने से प्रार्थी द्वारा मांगी गई जगह से रास्ता दिया जाने के स्थान पर नायब तहसीलदार कालन्दी व पटवारी हल्का कालन्द्री II द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाकर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तावित रास्ते की भूमि मौजा कालन्द्री पटवार हल्का कालन्द्री के जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता नंबर 254 के 2453 कुल रकबा 4.7400 हेक्टेयर मेसे 480 वर्ग मीटर या 0.480 हेक्टेयर अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार अप्रार्थीगण नैनमल हेमचंद सुरेशकुमार पि.शंकरलाल 3/4 खुशवंत पुत्र रतनचंद नयना भावना पुत्री रतनचंद हेमलता पत्नि रतनचंद जाति महाजन सा.देह खातेदार इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता नंबर 129 के 2454 कुल रकबा 2.3800 हेक्टेयर मेसे 400 वर्ग मीटर या 0.400 हेक्टेयर अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार चुन्नीलाल पुत्र बाबा 2/5 ओटीबाई पत्नि स्व. बाबा 1/10 जीवा पुत्र गमना 1/2 घांची सा.देह खातेदार तथा जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता नंबर 130 के 4593/2460 रकबा 0.7700 हेक्टेयर मेसे 120 वर्ग मीटर या 0.120 हेक्टेयर अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार चुन्नीलाल पुत्र बाबाराम ओटीबाई पत्नि स्व. बाबाराम जीवाराम पि.गमनाजी घांची सा.देह खातेदार मौके अनुसार लम्बे रास्ते को नियमानुसार राजस्व रेकर्ड मे रास्ता अंकित किये जाने हेतु रास्ते के रूप मे गैरमुमकिन सार्वजनिक रास्ते के लिये स्वीकृत की जाती है। उपरोक्तानुसार संयुक्त खातेदारों के खाते की प्रस्तावित उक्त रास्ते की भूमि सार्वजनिक रास्ते के लिये बिलानाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज की जाये । उक्त स्वीकृत की गई रास्ते की भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते है।

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राजय सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और

(ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचना को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

हम वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त कानूनी नजीर से इसलिये सहमति नही है कि प्रकरण की पत्रावली के संलग्न नायब तहसीलदार कालन्द्री द्वारा

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

निरन्तर पेज नं. 9

प्रस्तुत रास्ते की वर्तमान स्थिति की मौका निरीक्षण रिर्पोट दिनांक 23–2–2016 व संलग्न नक्शे मे अंकित लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ता बताया है उक्त मौका निरीक्षण रिर्पोट अनुसार उक्त प्रकरण पटवार हल्का कालन्द्री II के खसरा नंबर 4594/2460 पर आने जाने का रास्ते हेतु मौका देखा गया । खसरा नंबर 4594/2460 प्रार्थी मोहनसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जाति राजपूत निवासी कालन्द्री की खातेदारी कृषि भूमि है। तथा खसरा नंबर 4593/2460 अप्रार्थी चुन्नीलाल पुत्र बाबाजी व अन्य की खातेदारी भूमि है। खसरा नंबर 2454 चुन्नीलाल पुत्र बाबाजी व अन्य की खातेदारी भूमि है तथा खसरा नंबर 2453 नैनमल पुत्र शंकरलाल जाति महाजन की संयुक्त खातेदारी भूमि है। खसरा नंबर 4594/2460 मे आने जाने हेतु खसरा नंबर 4593/2460,2454,2453 मेसे नजदीक पडता है जो आम रास्ते से कम दूरी पर है। प्रार्थी वर्तमान मे अस्थायी रास्ते का उपयोग खसरा नंबर 2475,2481 ,2480,2479,2478 मे कर रहा है जो खसरा नंबर 4594/2460 से ज्यादा दूरी पर स्थित होना बताया है। मौका निरीक्षण से यह पाया कि नजरी नक्शा मौका निरीक्ष्ण रिर्पोट के संलग्न है जिसके अनुसार वर्तमान मे खसरा नंबर 2478,2479,2481,2480 व 2475 होते हहुये अस्थायी रास्ते के रूप मे उपयोग ले रहे है। प्रार्थी खसरा नंबर 2514 रेकार्ड हेतु रास्ते से खसरा नंबर 2453,2454 व 4593/2460 के दक्षिणी माट के किनारे किनारे चाह रहा है तथा प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 4594/2460 पर आने जाने के लिये तथा मवेशी,ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिये राजस्व रेकर्ड मे कोई रास्ता उपलब्ध व दर्ज नही है प्रार्थी अपनी आराजी पर आने जाने हेतु अस्थायी रास्ते का उपयोग अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की उपरोक्त वर्णित आराजी से करता आ रहा है उक्त अस्थायी रास्ता खेतो मे फसल बोने के बाद खातेदारों द्वारा बंद दिया जाता है प्रार्थी की आराजी तक आने जाने हेतु कोई रेकर्डेड रास्ता विधमान नही होने से प्रार्थी को वाहन लाने ले जाने मे भारी असुविधा होती है और वह अपने वैध खातेदारी की आराजी के उपयोग व उपभोग से वंचित हो रहा है। अतः उपरोक्त आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धाारा 251(क)आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 तक का न्यायहित मे स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी प्रस्तावित रास्ते की उक्त भूमि के संयुक्त खातेदार प्रस्तावित रास्ते की भूमि मौजा कालन्द्री पटवार हल्का कालन्द्री के जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता नंबर 254 के 2453 कुल रकबा 4. 7400 हेक्टेयर मेसे 480 वर्ग मीटर या 0.480 हेक्टेयर अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार अप्रार्थीगण नैनमल हेमचंद सुरेशकुमार पि.शंकरलाल 3/4 खुशवंत पुत्र रतनचंद नयना भावना पुत्री रतनचंद हेमलता पत्नि रतनचंद जाति महाजन सा.देह खातेदार इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता नंबर 129 के 2454 कुल रकबा 2.3800 हेक्टेयर मेसे 400 वर्ग मीटर या 0.400 हेक्टेयर अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार चुन्नीलाल पुत्र बाबा 2/5 ओटीबाई पत्नि स्व.बाबा 1/10 जीवा पुत्र गमना 1/2 घांची सा.देह खातेदार तथा जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

निरन्तर पेज नं. 10

नंबर 130 के 4593/2460 रकबा 0.7700 हेक्टेयर मेसे 120 वर्ग मीटर या 0.120 हेक्टेयर अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार चुन्नीलाल पुत्र बाबाराम, ओटीबाई पत्नि स्व. बाबाराम, जीवाराम पि.गमनाजी घांची सा.देह खातेदार के मौके अनुसार लम्बे रास्ते को नियमानुसार राजस्व रेकर्ड मे रास्ता अंकित किये जाने हेतु रास्ते के रूप मे गैरमुमकिन बिलानाम सार्वजनिक रास्ते के लिये स्वीकृत की गई प्रस्तावित रास्ते की भूमि की उपरोक्त वर्णित नियमोर्न्तगत किमत अवधारित की जाकर तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने व रास्ते के लिये प्रस्तावित उक्त भूमि के उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदारों को नियमानुसार राशि का भुगतान करने पर तहसीलदार, सिरोही को राजस्व रेकर्ड मे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ गैरमुमकिन रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

09/3/18

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 9-3-2018 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया ।

09/3/18

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही राजस्थान
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़, आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र संख्या 1592 / 2015

प्रार्थीगण

मोहनसिंह पुत्र मोहब्बतसिंहजी आयु 42 वर्ष जाति राजपूत पेशा नौकरी व खेती निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही

बनाम

1– चुन्नीलाल पुत्र बाबाराम जी अआयु व्यस्क जाति घांची निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही

2– श्रीमती ओटीबाई पत्नी बाबारामजी जाति घांची निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही

3– जीवाराम पुत्र गमनाजी जाति घांची निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही

4– नैनमल पुत्र शंकरलालजी आयु व्यस्क जाति जैन निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही हाल मैसूर कटपीस सेण्टर 7 डी.के.लेन चिकपेट बैंगलोर (कर्नाटक) 560053

5– हेमचंद पुत्र शंकरलालजी आयु व्यस्क जाति जैन निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही हाल मैसूर कटपीस सेण्टर 7 डी.के.लेन चिकपेट बैंगलोर (कर्नाटक) 560053

6– खुशवन्त पुत्र रतनचंदजी आयु व्यस्क जाति जैन निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही हाल मैसूर कटपीस सेण्टर 7 डी.के.लेन चिकपेट बैंगलोर (कर्नाटक) 560053

7– सुरेशकुमार पुत्र शंकरलालजी आयु व्यस्क जाति जैन निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही हाल मैसूर कटपीस सेण्टर 7 डी.के.लेन चिकपेट बैंगलोर (कर्नाटक) 560053

8– राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार साहब सिरोही तहसील जिला सिरोही

9– नयना पुत्री रतनचंदजी जाति जैन आयु व्यस्क निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही हाल मैसूर कटपीस सेण्टर 7 डी.के.लेन चिकपेट बैंगलोर (कर्नाटक) 560053

10– भावना पुत्री रतनचंदजी जाति जैन आयु व्यस्क निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही हाल मैसूर कटपीस सेण्टर 7 डी.के.लेन चिकपेट बैंगलोर (कर्नाटक) 560053

11– श्रीमती हेमलता पत्नि रतनचंदजी जाति जैन आयु व्यस्क निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही हाल मैसूर कटपीस सेण्टर 7 डी.के.लेन चिकपेट बैंगलोर (कर्नाटक) 560053

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

निरन्तर पेज नं. 2